BPSC Mains Model Answer by: KARAN SIR

Q. "भारत की संसद राष्ट्रीय एकता के लिए प्रभावी मंच है।" चर्चा करें।

=>> भारतीय संसद एक महत्वपूर्ण संगठन है, जो लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनी है। यह देश की नैतिक एंव राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा है। इसे गणराज्य की भावना और एकता के स्थान की भूमिका में एक प्रमुख मंच के रूप में देखा जाता है। इस मंच की महत्त्वपूर्णता उसकी कार्य, योजना और निष्कर्ष प्रक्रिया में छिपी है, जिससे यह देश की समृद्धि, सामरिकता और एकता को स्थापित करने का कार्य करता है।

प. जवाहर लाल नेहरू जी ने भारतीय संसद के बारे मे कहा है, की "संसद हमारे विचारों और विभिन्न सामूहिक क्षेत्रों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संवाद का केन्द्र है, जो राष्ट्रीय एकता का मंच है।

संसद राष्ट्रीय एकता का मंच कैसे है:

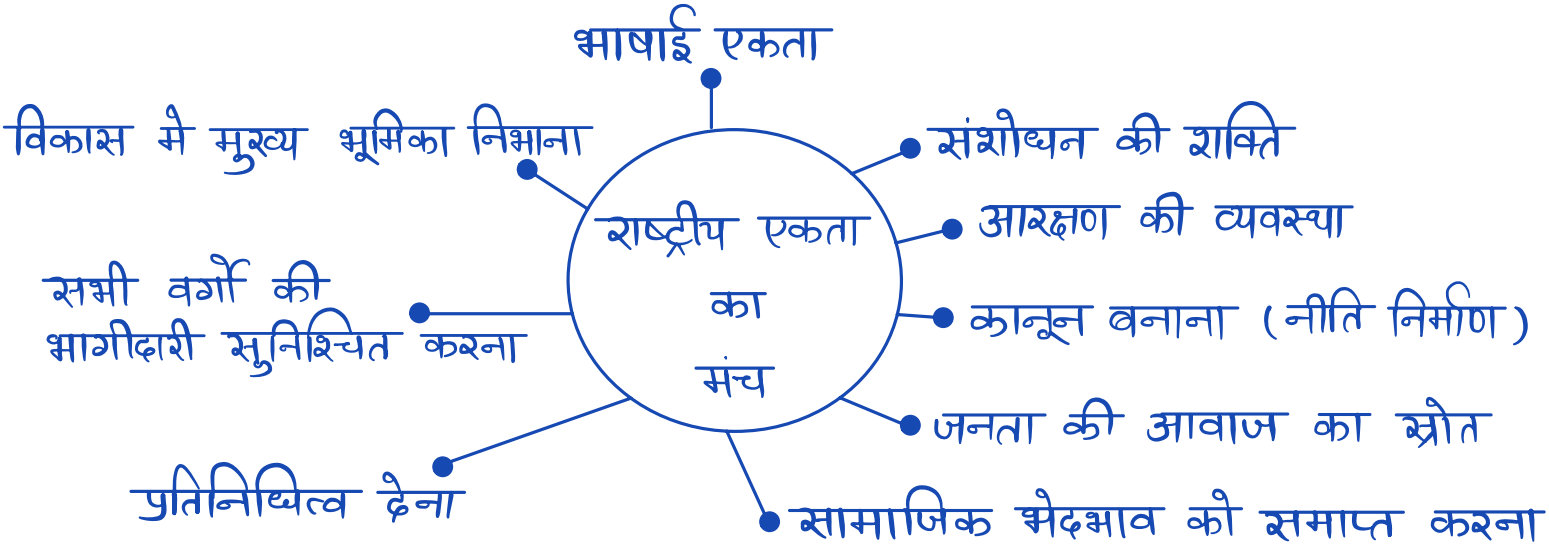

1. जनता की आवाज का स्रोत :-

संसद जनता की मांग के अनुरूप ही अपने कार्यों को निष्पादित करती हैं। जनता ही इसकी शक्ति की परिचालक हैं। जनता ही इसका चुनाव करती हैं। पस्तावना में भी जनता, शक्ति का मुख्य स्रोत हैं।

जैसे- लोकसभा का चुनाव सामान्यत: 5 वर्षो पर होता हैं।

2. भाषाई एकता :- (भाग- 8)

भारत विविधताओं वाला देश हैं, जहाँ लगभग 560 बोलियाँ हैं। संविधान द्वारा भाग 8 में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा गया हैं जो सम्पूर्ण भारत की एकता को प्रदर्शित करती हैं। इसके साथ ही Art-14 के आधार पर किसी से विभेद नही किया जाता हैं।

जैसे- समय-समय पर संशोधन करके क्षेत्रीय भाषाएँ जोड़ना।

3. संशोधन की शक्ति :- (Art 368)

संविधान के कुछ भागों में संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमती जरूरी हैं। जो राष्ट्रीय रूप से एक प्रभावशाली प्रक्रिया हैं।

जैसे- राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया।

4. नीति निर्माण :-

संसद नीतियों का निर्माण समयानुसार करती हैं तथा पूर्व की नीतियाँ जो वर्तमान समय के अनुरूप नही हैं, उनमें संशोधन या समाप्त कर देती हैं।

जैसे-
- तीन तलाक कानून का निर्माण
- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956

5. राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना :-

संसद राष्ट्रीय एकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं।

जैसे- राष्ट्रीय एकता दिवस।

6. सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना :-

भारतीय संसद ने इसको फलीभूत करने के लिए समय-समय पर कानून एंव अधिकारों को संसद के द्वारा मूर्त रूप दिया हैं।

जैसे- Art 14 समानता का अधिकार
Art 17 अस्पृश्यता का अधिकार
Art 18 उपाधियों का अन्त
Art 15,16 रोजगार नामांकन मे सभी वर्गो की भागीदारी

7. आरक्षण की व्यवस्था :-

शिक्षा, रोजगार, प्रतिनिधित्व मे सभी की भागीदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था संसद द्वारा की गई हैं।

जैसे- • OBC, SC, ST आरक्षण - लोकसभा एव विधानसभा
Art - 330, 332, 338

• महिला आरक्षण - पंचायत मे (73rd)

8. सभी को प्रतिनिधित्व देना :-

लोकसभा एंव राज्यसभा मे सभी वर्गो एंव क्षैत्रों की भागीदारी के लिए देश के सभी भागों से सांसदो का चुनाव जनता द्वारा किया जाता हैं।

जैसे- लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव
- राष्ट्रपति जी द्वारा 12 लोगो का मनोनय

9. विकास मे सबको भागीदार बनाना :-

संसद कई विभागों एंव समूहो द्वारा राज्य, UT को विकास के मुख्य केन्द्र मे लाकर राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है।

जैसे- • नीति आयोग संस्था का निर्माण
• GST Council का निर्माण
• क्षैत्रीय परिषद् का निर्माण

सामान्यत: भारतीय संसद राष्ट्रीय एकीकरण का ऐसा मंच है, जो सभी वर्गो, क्षैत्रों, भाषा, जाति को एकसाथ लाकर राष्ट्र के विकास को बढावा दे रही है। राष्ट्र की एकता का मंच सशक्त लोकतंत्र एंव विकास की भावना को जोड़कर "सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास" पर केन्द्रित है जो भारत को विश्व-पटल पर विकसीत लोकतंत्र के रूप मे जागृत करता रहेगा।

BPSC Mains Model Answer by: KARAN SIR